FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. छोटू पुत्र श्री बन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. रामा देवी पत्नि स्व0 श्री काना जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – 212 राज0 काश्तकारी अधि0 नंबर 21/2020

ऑन लाईन नंबर 2020/00021

वकील प्रार्थी श्री धनराज शर्मा वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.01.2020	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री धनराज शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27/01/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
27/01/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 44 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह खातेदारी की आराजी वर्तमान खाता संख्या 310 नया खसरा नम्बर 322 रकबा 08–05–00 भूमि ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज में स्थित है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 36 का वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार के रूप में इन्द्राज है एवं अप्रार्थी सं0 37 लगायत 44 के पिता के फौत होने से व विरासत नामान्तकरण नहीं खुलने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान् अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व ट्रेस में विधिक विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान् के मध्य नींव, सींव, मेड एवं पक्के निर्माण करने को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है। अप्रार्थीगण संख्याबल में अधिक होने के कारण प्रार्थी को जबरन अपने हिस्से की आराजी से मौके से बेदखल करके, उपरोक्त आराजी में कच्चा पक्का निर्माण करके, अजनबी क्रेता को बैचान करने पर ऊतारू है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत उत्पन्न नहीं करे मौके पर कच्चा पक्का निर्माण, रास्ता नहीं बनये एवं जब तक उपरोक्त आराजी का विभाजन नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण, शक्ल परिवर्तन, रहन, भारयुक्त नहीं करे अर्थात ताफैसला मूल वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म से तामील मे जारी हुए
	हमारे द्वारा वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। **Jagdish Lal Vs. Parmeshwar Lal 1997 RBJ 621:1997 RRD 591; Jagdish Singh Vs. Ram Karan 2012 RRD 20:2012(1) RRT 43:2012 RBJ 5:2012 RLW RJ 60,** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्यतः एक अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **Sardar Vs. Girraj Prasad 1984 RRD 492** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से बाधित नहीं किया जा सकता है। दस्तावेजों के अवलोकन से हम यह पाते है कि राजस्व रिकार्ड में पक्षकार सहखातेदार है किन्तु उनका हिस्सा तय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनो ही बिन्दू अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। देवेन्द्र कुमार आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.13 13:10:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: